बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018.....828.....

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया।

पटना, दिनांक :–30-05-19

विषय :– सर्वेक्षण संबंधित कागजातों को संरक्षित करने के संबंध में।

प्रसंगः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक–477 दिनांक– 20.03.2019, पत्रांक–712 दिनांक– 07.05.2019, अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक–01.10.2012 तथा 188 दिनांक–03.02.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक–01.10.2012 तथा 188 दिनांक–03.02.2015 द्वारा आपके जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उल्लेखनीय है कि अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की कार्रवाई तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाना है। इस संदर्भ में विभागीय स्तर से तकनीकी मार्गदर्शिका तैयार करने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–1868/2018 भी दायर किया गया था। इस आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–165(8)/रा0 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। दिनांक– 17.05.2019 को ईमेल द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका बिहार राज्य के सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी भेजा गया है। आशा है कि आपके द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका का अध्ययन कर लिया गया होगा। उल्लेखनीय है कि आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया तकनीकी मार्गदर्शिका पर आधारित है और समीक्षात्मक बैठक हेतु तकनीकी मार्गदर्शिका एक आधार होगा।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक–477 दिनांक– 20.03.2019 द्वारा अधिसूचित तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में यह निदेशित किया गया था कि "यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण का कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुकूल ही किया गया है। यदि विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात की सभी कार्रवाईयाँ भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्त्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संतुष्ट हो लेंगे कि विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।"

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित वर्ष–2017), बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित वर्ष–2019), तकनीकी मार्गदर्शिका एवं एन0आई0सी0 द्वारा तैयार भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान में 14 जिलों यथा– नालंदा, शिवहर, सीतामढी, सुपौल, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, जमुई, बांका एवं अरवल में प्राथमिकता के आधार पर वर्ष–2019–20 में नवनियोजित कार्यबल के द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम तरीकों का उपयोग कर भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई की जाए।

इस संदर्भ में निदेशालय के आदेश संख्या– 712 दिनांक–07.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संसूचित किया गया है कि– "पूर्व से संचालित 13 जिलों में से 6 जिलों यथा– खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार एवं अररिया में चल रहे सर्वेक्षण कार्य को तत्काल स्थगित किया जाता है।

स्थगित किए गए 6 जिलों में नई व्यवस्था के तहत् सर्वे कार्य किया जाएगा, तब जिस अवस्था में यह स्थगित किया गया है, संभावनाओं एवं त्रुटियों को देखते हुए विनिश्चय स्तर से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाएगा।"

उपरोक्त वर्णित निर्णयों के आलोक में यह आवश्यक है कि जिन 13 जिलों यथा– नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णियाँ, कटिहार, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया में भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई पूर्व में प्रारंभ की गई थी, उन जिलों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सर्वेक्षण के दौरान जो कागजात तैयार किए गए है यथा– किस्तवार, वंशावली, याद्दाश्त पंजी, प्रपत्र–5, प्रपत्र–6, प्रपत्र–7, दावा–आपत्ति के आवेदन, दावा–आपत्ति के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई के साथ–साथ सर्वेक्षण के दौरान संग्रहित अन्य कागजात तथा अभिलेख आदि को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया जाए ताकि वर्त्तमान में प्रारंभ होनेवाले विशेष सर्वेक्षण के दौरान उन कागजातों के आधार पर त्वरित गति से कार्रवाई हो सके।

जिन जिलों में वर्त्तमान में भू–सर्वेक्षण की कार्रवाई को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, उन जिलों में वहां हुए उल्लेखित अधिसूचना अंतर्गत सर्वेक्षण से संबंधित कागजात एवं अभिलेखों को भविष्य में कार्य की सुगमता हेतु संरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त एवं सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित कर एवं उल्लेखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत हुए सर्वेक्षण के दौरान तैयार/प्राप्त कागजातों एवं अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए वृहद समीक्षा पश्चात अविलंब कार्रवाई कर ली जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

29/5

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018 828 **पटना, दिनांक** :– 30-05-19

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय /खगड़िया /लखीसराय/ नालंदा / शेखपुरा / मुंगेर / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया प्रासंगिक पत्र के क्रम में अंकित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

29/5

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018 828 **पटना, दिनांक** :– 30-05-19

प्रतिलिपिः– सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय/ खगड़िया/ लखीसराय/ नालंदा / शेखपुरा / मुंगेर / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया प्रासंगिक पत्र के क्रम में अंकित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

29/5

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग